मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, **दिनांक** 9 /03/2020

क्र. एफ 16-19/2015/बी-ग्यारह::शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. मेसर्स वेकमेट इण्डिया लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र उज्जैनी, जिला धार में विद्यमान इकाई को शासनादेश क्रमांक एफ 16-19/2015/बी-ग्यारह दिनांक 14/10/2015 की कण्डिका 02 (i) विद्युत दर पर छूट के संबंध में उल्लेखित सुविधा में निम्न संशोधन किया जाता है:-

   विद्युत दर पर छूट:- विद्युत दर में 07 वर्षो के लिये रू. 1.00 प्रति यूनिट की छूट दी जावे। यह छूट मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा रिटेल टैरिफ ऑर्डर में प्रावधानित छूट के अतिरिक्त होगी एवं उक्त छूट संदर्भित आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी। इस अतिरिक्त छूट की राशि संबंधित विद्यत वितरण कंपनी द्वारा एमपी आईडीसी से प्राप्त की जावेगी

2/ यह आदेश निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति के निर्णय के आईटम क्रमांक 06 दिनांक 06/02/2020 के संदर्भ में जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

से तथा आदेशानुसार

(डॉ. राजेश राजोरा) 9/3/20

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्र. एफ 16-15/2015/बी-ग्यारह — भोपाल, दिनांक 9 /03/2020

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, तकनीकि शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, पर्यावरण विभाग, श्रम विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला धार ।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
6. मेसर्स वेकमेट इण्डिया लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र उज्जैनी, जिला धार,

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

9/3/20

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग